उत्तरांचल शासन
पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा
संख्या 485 /XII/ 2005/90(11)2005
देहरादून दिनांक 18 जून 2005

अधिसूचना

राज्यपाल उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961(उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त)(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, सन 1961) की धारा 237, धारा 238 एवं 239 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उत्तर प्रदेश जिला परिषद(विभव और सम्पति कर का आरोपण निर्धारण वसूली)नियमावली 1994 (उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त)को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाते है:-

उत्तरांचल, (उ0प्र0 जिला परिषद(विभव और सम्पत्ति कर का आरोपण निर्धारण और वसूली) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2005

1. (1) यह नियमावली उत्तरांचल, उ0प्र0 जिला परिषद (विभव और सम्पत्ति कर का आरोपण निर्धारण और वसूली) (प्रथम संशोधन)नियमावली, 2005 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

2. उत्तर प्रदेश जिला परिषद (विभव और सम्पत्ति कर का आरोपण निर्धारण और वसूली) नियमावली, 1994 (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) में, नियम-7 में नीचे स्तम्भ-1 दिये गये विद्यमान खण्ड के स्थान -2 दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा अर्थात:-

स्तम्भ-1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
7-कर आरोपित करने की शर्ते और निर्बन्धन- कर आरोपण निम्नलिखित शर्तो और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये किया जायेगा: (क) कर की दर वही होगी, जो अधिनियम की धारा 128 की उपधारा(2) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय,. (ख) कर का निर्धारण निकटतम रुपये तक किया जायेगा 50 (पचास) पैसे से कम की धनराशि पर विचार नहीं किया जायेगा, जबकि 50 पैसे या उससे अधिक की धनराशि की गणना एक रुपये में की जायेगी । (ग) किसी व्यक्ति पर आरोपित कर की कुल धनराशि 6000 रुपये(छः हजार रुपये) प्रतिवर्ष से अधिक न होगी ।	7-कर आरोपित करने की शर्ते और निर्बन्धन- कर आरोपण निम्नलिखित शर्तो और निर्वन्धनों के अधीन रहते हुये किया जायेगा: (क) कर की दर वही होगी, जो अधिनियम की धारा 128 की उपधारा(2) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय,. (ख) कर का निर्धारण निकटतम रुपये तक किया जायेगा 50 (पचास) पैसे से कम की धनराशि पर विचार नहीं किया जायेगा, जबकि 50 पैसे या उससे अधिक की धनराशि की गणना एक रुपये में की जायेगी । (ग) किसी व्यक्ति पर आरोपित कर की कुल धनराशि 15,000-00 रुपये(पन्द्रह हजार रुपये) प्रतिवर्ष से अधिक न होगी ।

(पी0के0महान्ति)
सचिव